

2018/00 265

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 26/2018 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)  
सरकार जरिये श्री बालमुकन्द शर्मा कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण)/उर्वरक निरीक्षक कार्यालय उपा  
निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद जयपुर पता क. नं. 303 तृतीय तल, अकादमिक भवन श्याम  
दुर्गापुरा जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स प्रतिनिधि/श्री एण्ड एफ

1. मैसर्स नोवा एग्रीटेक प्रा. लि.
2. मैसर्स यूनिवर्सल स्पेशियलिटी कैमिकल्स प्रा. लि.
3. मैसर्स श्री जी पेस्टीसाईड प्रा. लि.
4. मैसर्स मारगोसा बायोग्रो प्रा. लि.

एफ-658, रोड नं. 9, एफ-2, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत  
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर गोदाम एफ-658, रोड नं. 9, एफ-2, में  
भण्डारित उर्वरक/जैव उर्वरक की सूचना प्रेषित करने बाबत

उपस्थित :-

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कृष्ण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।



निर्णय

दिनांक 21.11.2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2018 को संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा सांय 4.15 पीएम पर मोबाईल पर सूचना दी गई कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर गोदाम एफ-658, रोड नं. 9, एफ-2 में उर्वरकों का अशुद्ध भण्डारण कुछ निर्माता कम्पनियों द्वारा किया गया है, तुरन्त मौके पर पहुंच कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश की पालना में उप निदेशक (कृषि विस्तार) जिला परिषद जयपुर के साथ मौके पर पहुंच कर गोदाम का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण श्रीजी पेस्टीसाईड प्रा. लि. वडोदरा गुजरात, मैसर्स नोवा एग्रीटेक प्रा. लि. सिकन्दराबाद, तेलंगाना, मैसर्स यूनिवर्सल स्पेशियलिटी कैमिकल्स प्रा. लि. तालोगा, रायगढ़ महाराष्ट्र द्वारा निर्मित जैव उर्वरकों के विभिन्न ब्रांड भण्डारित किये हुये मिले। मौके पर निर्माता कम्पनी के जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर के बारे में जानकारी की गई, परन्तु मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला। गोदाम से भण्डारित उर्वरकों/जैव उर्वरकों का हैण्डलिंग कार्य श्री सुरेश जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन निवासी बीआर/1, रिको शापिंग सेन्टर रोड नं. 5 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर उपस्थित मिले जिनके सहयोग से अवैध रूप से भण्डारित उर्वरकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित

की गई। दिनांक 25.10.2018 को किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त निर्माता तीनों फर्मा के उत्पादों / उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये परन्तु फर्म के प्रतिनिधि द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5, 8, 11 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान फर्म के उत्पादों के कन्टेनर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माता फर्म द्वारा जैव उत्पादों को उर्वरक के रूप में पैकिंग की विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है। जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 सी (V)& (Vi) का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा उर्वरक/जैव उर्वरक नॉन एडीबल डी आईल्ड के उर्वरक एवं आर्गेनिक उर्वरक निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। साथ ही साथ उक्त अधिसूचना के अधिकारिता क्षेत्र की भी अधिसूचित किया गया है प्रार्थी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त फर्मा को विरुद्ध कुल 7 जैव उत्पादों के विक्रय पर 21 दिवस हेतु रोक लगाई गई। दिनांक 26.10.2018 को गोदाम का निरीक्षण करने पर अन्य उर्वरकों उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के शिड्युल में समाहित है, बिना प्राधिकार के एवं व्यवसाय से संबंधित अन्य सूचनाये उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्रम में प्रार्थी द्वारा कुल 10 उर्वरकों की जब्ती की गई एवं जब्तशुदा उर्वरक श्री नितिन शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी डी-4, विजय विहार कालोनी अम्बाबाडी जयपुर को सुपुदर्गी में दिया गया। चूंकि निर्माता फर्म/विपणनकर्ता/सी एण्ड एफ द्वारा उक्त कृत्य अवैधानिक है एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3, 5, 11, 19 सी (V)& (Vi) का स्पष्ट उल्लंघन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त उर्वरक/जैव उर्वरक को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दौराने निरीक्षण श्रीजी पेस्टीसाईड प्रा. लि. वडोदरा गुजरात, मैसर्स नोवा एग्रीटेक प्रा. लि. सिकन्दराबाद, तेलंगाना, मैसर्स यूनिवर्सल स्पेशियलिटी कैमिकल्स प्रा. लि. तालोगा, राजस्थान महाराष्ट्र द्वारा निर्मित जैव उर्वरकों के विभिन्न ब्राड भण्डारित किये हुये मिले। दिनांक 25.10.2018 को किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त निर्माता तीनों फर्मा के उत्पादों/उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये परन्तु फर्म के प्रतिनिधि द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5, 8, 11 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान फर्म के उत्पादों के कन्टेनर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माता फर्म द्वारा जैव उत्पादों को उर्वरक के रूप में पैकिंग की विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है। जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 सी (V)& (Vi) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त उर्वरक/जैव उर्वरक को राजसात करने के आदेश फरमावे।

जिस्ट्रेट  
जयपुर

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी श्रीजी पेस्टी साईड प्रा. लि. का अधिकृत प्रतिनिधि है जिसे उक्त कम्पनी के आधार पर विधिक कार्यवाही करने के लिये हक व अधिकार प्राप्त है। पार्थी की कम्पनी ने वी के आई में रोड नं. 9, एफ-2, गोदाम एफ-658 में अपना ब्राण्ड ग्रेन्युल जो एक पौध वृद्धिकारक है तथा फर्टिलाईजर की श्रेणी में नहीं आता है। यहां यह स्पष्ट किया जाना समिचिन होगा कि इस बाबत जो प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री एफ ए के खिलाफ अवैद्य भण्डारन के बाबत दर्ज की गई थी। कोई शिकायत अप्रार्थी के ब्राण्ड के सम्बन्ध में नहीं की गई थी, किन्तु गोदाम में पार्थी का ब्राण्ड भी रखा हुआ था इस कारण उसे भी जब्त कर लिया गया। वस्तुतः जब्त की कार्यवाही का संबंध में फर्टिलाईजर से है, जबकि अप्रार्थी की ब्राण्ड ग्रेन्युल फर्टिलाईजर की परिभाषा में नहीं आता है। अप्रार्थी कम्पनी श्रीजी पेटीसाईड द्वारा बनाती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के जब्त शुदा माल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब्त माल के बिलों की फोटो प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित है। अतः जब्त माल को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।
6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
- मामले में उर्वरक/जैव उर्वकों के रोड नं. रोड नं. 9, एफ-2, गोदाम एफ-658 अवैद्य रूप से भण्डारित किये जाने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना विश्वकर्मा में दर्ज कराई गई है। जब्त माल की गुणवत्ता बाबत कोई आरोप नहीं है। जब्त उर्वरक के सम्बन्ध में श्रीजी पेस्टीसाईड प्रा. लि. की ओर से जब्त माल के बिल बाउचर्स की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है। जिनके आधार पर अप्रार्थीगण की किसी प्रकार की बदनियति एवं मनः स्थिति नहीं पाई गई है। अतः प्रकरण में जब्त उर्वरक एवं जैव उर्वरक को लौटाना वाजिब समझते हैं।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा उर्वरक/जैव उर्वरक या उससे विक्रीत शशि अप्रार्थी श्री जी पेस्टीसाईड प्रा. लि. को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण)/उर्वरक निरीक्षक कार्यालय एवं निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुगर फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक 21-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

